कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 1785 / 12-1 दिनॉकः देहरादून 20 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा आयोजित FRCM की बैठक दिनांक 30.10.2023 के अनुपालन में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **FRCM Meeting दिनांक 30.10.2023** के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1611/12–1 दिनांक 12.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	आख्या
1	After detailed discussion, it was decided that the DFO may visit the site along with the local engineer and geologist. They may reexamine that steep slope and explore alternate to avoid steep forest area which is above the proposed alignment.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2455/12–1(2) दिनॉक 31.01.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण का वन विभाग, प्रस्तावक विभाग एवं भू–वैज्ञानिक के साथ दिनांक 09.01.2024 को मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् उप निदेशक/ भूवैज्ञानिक रुद्रप्रयाग एवंचमोली ने उनके पत्रांक–1052/भू0ख नि0वि0/रु0/मोटर मार्ग/2023–24 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा प्रकरण की भू–वैज्ञानिक आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, **(संलग्न–1)** जिसमें उनके द्वारा निम्न शर्तो का उल्लेख किया गया है– 1. मोटर मार्ग कटान में सीमित स्ट्रैंथ के विस्फोटकों का कम से कम प्रयोग किया जाय। 2. कटान किये जाने के बाद कटान किये गये भाग के ऊपरी व निचले ढाल पर स्थल की भार ग्राह्य क्षमता के अनुसार तत्काल सुरक्षा धारक दीवार निर्माण किया जाना होगा। 3. सम्पूर्ण मोटर मार्ग कटान भाग से पक्की नालियों का निर्माण किया जाना होगा व एकत्रित जल का सुरक्षित निस्तारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल पर सुनिश्चित किया जाना होगा। 4. कटान किये जाने से उत्सर्जित मलवे/अवसाद को निर्धारित डम्पिंग जोन में निस्तारित किया जाना होगा। **"उपरोक्त वर्णित सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर सन्दर्भित स्थल प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है"।** अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–243/16सी0 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निम्न प्रकार अवगत कराया

		गया– (A)-ग्राम बैंजी काण्डई के समीप एक मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु मोटर मार्ग से बैंजी काण्डई गांव की एलवेशन दूरी 115 मीटर है। शासन के पत्रांक–167 / III(2) / 18–15(सामान्य) / 2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्न–2)** द्वारा प्राख्यापित सड़क मार्ग नीति के विन्दु संख्या–4 के अनुसार मार्ग से 100 मीटर की वर्टिकल दूरी तक स्थित गांव / वसावट को ही मोटर मार्ग से संयोजित माना जाता है। विषयगत प्रकरण में गांव 100 मीटर से अधिक वर्टिकल दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम बैंजी काण्डई मोटर मार्ग से असंयोजित है। (B)-एजेंडा 2 में यह इंगित किया गया है कि "it was seen that there is a slope of around 55-60 in the starting point of forest patch of the road which appear vulnerable to erosion and may lead to rolling down of muck." बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया, भूगर्भीय आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। **(संलग्न–1 के अनुसार)** (C)-विषयगत मोटर मार्ग को रिज के ऊपर से निम्नलिखित कारणों से ले जाना सम्भव नहीं है:– 1–समरेखण के आरम्भ बिन्दु में पानी की चरी, पंचायत घर, अस्थाई हैलीपेड एवं गॉव का प्राचीन कार्तिक स्वामी का मन्दिर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त रिज पर ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं परिसम्पत्तियां निर्मित हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–3)** 2–उक्त इंगित बिन्दु 1 को दृष्टिगत रखते हुये समरेखण को रिज के नीचे से होते हुये उसी समरेखण को प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर तकनीकी रूप से मार्ग निर्माण हेतु वाछित न्यूनतम ग्रेड प्राप्त किया जा सके एवं न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। स्थिति स्पष्ट करने हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–4)** उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में वर्णित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुये मार्ग की वन भूमि स्वीकृति दिये जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिएगा। यह गांव जनपद–रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव है। मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिये अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त संलग्नक पार्ट–I के Additional information detail के क्र0सं0–37 एवं 38 में ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का मत है कि उपरोक्त क्रम में प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु भूगर्भीय वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समस्त सुरक्षात्मक उपाय का संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र),
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1485 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र),
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।